



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-30072026-274961
CG-DL-W-30072026-274961

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 11] नई दिल्ली, जुलाई 19—जुलाई 25, 2026, शनिवार/ आषाढ 28—श्रावण 3, 1948
No. 11] NEW DELHI, JULY 19—JULY 25, 2026, SATURDAY/ ASHADHA 28—SHRAVAN 3, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2026

का.नि.आ. 21.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में, रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग के निम्नलिखित कार्यालय को, जिसके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम/पता जिसे राजभाषा नियम, 1976 के उप-नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया जाना है
1.	सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, सेना भवन, नई दिल्ली – 110011

[फा. सं. 1(3)/2024-रक्षा (रा.भा.।)]

मनीष त्रिपाठी, अपर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th July, 2026

S.R.O. 21.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of Ministry of Defence, D/o Defence, more than 80% staff whereof has acquired working knowledge of Hindi :-

1.	Sainik Schools Society, Ministry of Defence, Sena Bhawan, New Delhi - 110011
----	--

[F. No. 1(3)/2024-D(OL-1)]

MANISH TRIPATHI, Addl. Secy.